भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3951
19.03.2021 को उत्तर के लिए

वनाच्छादन में वृद्धि

3951. श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री अरविंद धर्मापुरी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्यों को वितरित की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार ने पशु अधिकारों के संबंध में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : देश के वनावरण में वृद्धि के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत मिशन (जीआईएम) शामिल है। वनीकरण कार्यकलापों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत प्रतिपूरक वनीकरण निधियों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों / निधीयन स्रोतों के अंतर्गत भी शुरू किया जाता है। वनीकरण कार्यकलाप राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की विभिन्न योजनाओं के तहत भी शुरू किए जाते हैं।

इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भी राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति-2014 कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य इमारती लकड़ी, खाद्य, ईंधन, चारा, उर्वरक, रेशा और अन्य कृषि-वानिकी उत्पादों की मांग को पूरा करना; प्राकृतिक संसाधनों एवं वनों को संरक्षित करना; पर्यावरण को संरक्षित करना और पर्यावरणीय सुरक्षा मुहैया कराना तथा वन / वृक्षावरण में वृद्धि करना है। साथ ही, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) बागवानी सेक्टर की समग्र वृद्धि कि लिए एक केंद्र-प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत फलों, सब्जियों, कंद-मूल वाली फसलों, मशरूमों, मसालों, फूलों, सुगन्धित पौधों, नारियल, काजू, कोकोआ और बांस को शामिल किया गया है।

गत तीन वर्षों में, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत मिशन और प्रतिपूरक वनीकरण निधियों के तहत जारी की गई धनराशि का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I, II और III** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) द्वारा पशुओं के कल्याण के विषय में जन-जागरूकता के प्रसार के लिए कदम उठाए गए हैं। उसके द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने, पशुओं को अनावश्यक कष्ट या पीड़ा पहुंचाने की रोकथाम करने तथा पशुओं के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्डों / जिला समितियों के प्रभावकारी कार्य संचालन हेतु राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनेक परामर्शी और परिपत्र जारी किए गए हैं। बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष विश्व रेबीज दिवस (28 सितंबर), विश्व पशु दिवस (4 अक्तूबर), पशु कल्याण पखवाड़ा समारोह (14-30 जनवरी) और वसंत पंचमी समारोहों के दौरान जागरूकता के प्रसार संबंधी परिपत्र भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा, बोर्ड ने पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु प्रतिनिधियों को मनोनीत किया है और वह ऐसे नागरिकों, जो आवारा पशुओं को सहानुभूतिपूर्वक खाना खिलाते हैं, को प्रोत्साहित करने हेतु कालोनी के पशु देखभाल कर्ताओं को नियमित आधार पर प्राधिकार पत्र जारी कर रहा है।

*****

अनुबंध-I

'वनाच्छादन में वृद्धि' के संबंध में दिनांक 19.03.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3951 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**
1.	आंध्र प्रदेश	3.36	6.38	0.00
2.	बिहार	4.23	0.00	1.18
3.	छत्तीसगढ	10.86	7.82	5.71
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	0.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	2.71	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	1.73	2.92	0.52
8.	जम्मू और कश्मीर	7.20	0.00	0.00
9.	झारखंड	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	3.24	10.99	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	8.74	7.78	0.00
13.	महाराष्ट्र	6.73	15.33	0.00
14.	ओडिशा	3.49	11.36	8.45
15.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान	1.40	1.95	0.00
17.	तमिलनाडु	0.00	2.07	0.00
18.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	0.67	0.32	0.00
20.	उत्तराखंड	3.36	2.58	0.00
21.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
	कुल (अन्य राज्य)	57.71	69.51	15.87
	उत्तर पूर्वी राज्य			
22.	अरुणाचल प्रदेश	0.86	0.00	0.00
23.	असम	0.00	0.58	0.00
24.	मणिपुर	3.20	4.38	0.00
25.	मेघालय	1.65	0.74	0.00
26.	मिजोरम	5.80	7.79	0.00
27.	नगालैंड	5.85	6.41	2.35
28.	सिक्किम	0.00	5.98	0.00
29.	त्रिपुरा	4.94	0.00	3.76
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	**22.29**	**25.87**	**6.11**
	कुल	**80.00**	**95.38**	**21.98**

अनुबंध-।।

'वनाच्छादन में वृद्धि' के संबंध में दिनांक 19.03.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3951 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हरित भारत मिशन के तहत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**
1.	आंध्र प्रदेश	0.4460	2.6662	-
2.	छत्तीसगढ	10.953	5.3607	5.0360
3.	कर्नाटक	0.85734	1.6234	2.2099
4.	केरल	-	-	16.3181
5.	मणिपुर	6.4158	4.8881	4.16229
6.	मिजोरम	20.00	22.364	17.70901
7.	ओडिशा	1.4056	4.7433	14.18919
8.	पंजाब	6.2173	-	3.1857
9.	मध्य प्रदेश	-	24.159	30.65298
10.	महाराष्ट्र	-	10.302	-
11.	सिक्किम	-	3.3236	3.1242
12.	पश्चिम बंगाल			9.426488
कुल		**46.29504**	**79.4303**	**106.014**

।

अनुबंध-।।।

'वनाच्छादन में वृद्धि' के संबंध में दिनांक 19.03.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3951 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य काम्पा की वार्षिक प्रचालन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तदर्थ काम्पा से जारी निधि का ब्यौरा

				(करोड़ रुपए में)
क्र.सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.33	1.56	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	97.00	104.47	322.97
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	354.15	0.00
4.	असम	70.00	45.84	55.89
5.	बिहार	30.31	46.62	140.08
6.	चंडीगढ़	1.13	1.27	1.87
7.	छत्तीसगढ	0.00	0.00	848.51
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
10.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
11.	गोवा	0.00	0.00	17.95
12.	गुजरात	27.00	212.66	0.00
13.	हरियाणा	80.00	144.20	96.84
14.	हिमाचल प्रदेश	120.00	132.52	145.82
15.	जम्मू और कश्मीर	69.00	0.00	0.00
16.	झारखंड	234.00	286.25	399.29
17.	कर्नाटक	86.00	101.40	146.21
18.	केरल	8.00	14.61	0.00
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	200.00	268.76	506.38
21.	महाराष्ट्र	199.00	225.00	499.38
22.	मणिपुर	29.50	24.85	30.36
23.	मेघालय	7.00	0.00	0.00
24.	मिजोरम	6.85	8.30	19.23
25.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
26.	ओडिशा	509.00	554.00	592.52
27.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
28.	पंजाब	64.00	79.20	64.72
29.	राजस्थान	179.00	182.03	267.69
30.	सिक्किम	0.00	0.00	54.38
31.	तमिलनाडु	12.68	7.00	0.00
32.	तेलंगाना	127.00	237.38	510.00
33.	त्रिपुरा	7.10	16.70	16.74
34.	उत्तर प्रदेश	144.00	150.60	285.68
35.	उत्तराखंड	96.00	303.00	218.00
36.	पश्चिम बंगाल	0.00	21.22	70.07
	कुल	**2,404.90**	**3,523.59**	**5310.68**